बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 ''एस'' जूही,कानपुर–208014

website: www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं एवं चिकित्सकों हेतु सूचना

जैसाकि आप अवगत हैं कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लाम्बित अवमाननावाद संख्या 820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित दिनांक 28–1–2004 के आदेश के अनुसार प्रदेश में डिग्री/प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं का पंजीयनशासन में तथा चिकित्सकों का पंजीयन ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में होना आवश्यक है, इस हेतु 30 अप्रैल, 2004 की समय सीमा निर्धारित थी।

बोर्ड द्वारा इसके अनुपालन में एक रिट याचिका सं0 10404/2004 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी थी जिसमे पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2004 के निर्देशित आदेशानुसार 20 मार्च, 2004 को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एक मात्र संस्था है जिसने शासन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अभी प्रतिवेदन लाम्बित ही था, कि इस बीच प्रदेश की दर्जनों संस्थाओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें योजित की गयीं जो निरस्त हो गयीं, इनमें से कुछ याचिकाओं की अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गयी, वहाँ भी निरस्त हो गयीं, यह क्रम लगातार 2004 से 2011 तक चलता रहा।

बोर्ड द्वारा लाम्बित प्रतिवेदन को निस्तारित करने के लिए एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय मेंएक याचिका सं0 4688 योजित की गयी जिसमें दिनांक 18–5–2011 को माननीय न्यायालय द्वारा 8 हफ्ते में प्रतिवेदन के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये जिसके परिणाम स्वरूप 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया।

4 जनवरी, 2012 का शासनादेश अभी प्रसारित भी नहीं हो पाया था कि इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल तथा कमला नेहरू इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, इलाहाबाद द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी तथा जिसमें मांग की गयी कि उनके प्रतिवेदन का निस्तारण 25–11–2003 के आदेश के अनुसार 5–5–2010 एवं 21 जून, 2011 के आलोक में निस्तारित किया जावें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सुनवाई करते हुए 2004 से 2011 तक के निरस्त याचिकाओं को संयोजित करते हुए इस याचिका को दिनांक 21 फरवरी, 2012 को निरस्त कर दिया तथा याची को निर्देश दिया कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस न्यालयालय में न आवे तथा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 को न्यायालय के निर्णय आदेशानुसार समुचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये, जिसके अनुपालन में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ने 29 मार्च, 2012 को कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये।

इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 21–2–2012 की अपील की गयी, जिसमें 16 जुलाई, 2012 को प्रथम सुनवाई पर ही हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्वस्थगन आदेश जारी कर दिया गया।

बोर्ड द्वारा इस पूरी कार्यवाही की लगातार निगरानी की गयी तथा दिनांक 2 सितम्बर, 2013 को उ0प्र0 शासन द्वारा जारी दिनांक 4 जनवरी, 2012 के आदेश को शासकीय आदेशानुसार महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को निर्देश जारी किये गये कि अपने मण्डल के अधीन समस्त मुख्यचिकित्साधिकारियों को अनुपालन हेतु निर्देशित करें।

इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउन्सिल के साथ 5 अन्य अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में एक साथ संलग्न थीं

1	S.L.P. (Crl.)	N0.3955/2009	श्री अरविन्द शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य
2	S.L.P. (C)	N0.23572/2009	श्री गुरू गोविन्द सिंह इन्सटीट्यूट बनाम यूनियन
3	S.L.P. (C)	N0.14388/2010	इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डाक्टर्स एशोसिएशन बनाम पंजाब राज्य
4	S.L.P. (C)	N0.29919/2011	गुरूविन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य
5	S.L.P. (C)	N0.19046/2012	इण्डियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी काउन्सिल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
6	S.L.P. (C)	N0.21611/2012	बच्चाराम मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

दिनांक 15–10–12 को S.L.P. (Crl.) N0.3955/2009 श्री अरविन्द शर्मा बनाम उ0प्र0 निरस्त हो गयी तथा अन्य याचिकाओ को 1 नवम्बर 2012 को अन्तिम सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया। उक्त याचिकाओ की सुनवाई लगातार जारी रही जिन्हें दिनांक 22 जनवरी,2015 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा पर कभी भी प्रतिबन्ध नहीं रहा है और न तो आई सी एम आर और न ही भारत सरकार ने कभी रोक लगायी है यह बात 22 जनवरी, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी स्पष्ट है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वर्तमान में विज्ञान साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही फार्माकोपिया, की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में साहित्य भी पर्याप्त है और उसका कोई संकट नहीं है अगर जरूरत है तो सिर्फ अधिकारपूर्वक काम करने की। प्रदेश में यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के पास है इसके अतिरिक्त प्रदेश में कोई अन्य संस्थां चिकित्सा,शिक्षा अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 22–1–2015 से स्वतः स्पष्ट है।

रजिस्ट्रार